मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्र.एफ–1/42/04–पी.एम.यू./2240 भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) परियोजनाओं के विकास हेतु मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष योजना का सृजन (परिपत्र क्र. 17)

--0--

1.1 देश तथा प्रदेश में अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति के चलते नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिनके द्वारा राज्य को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने में मदद मिल सकती है। प्रदेश को बढ़ते निजी क्षेत्र के रूप में वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है। तथापि इन नए अवसरों का लाभ उठाने हेतु राज्य शासन की एजेंसियों को स्वयं को तैयार करना होगा। ऐसा महसूस किया गया है कि विभाग आर्थिक तथा व्यवसायिक रूप से लाभप्रद परियोजनाओं को विकसित करने हेतु धनराशि के अभाव में उक्त अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। परियोजनाओं को विकसित करने हेतु विशेषज्ञों तथा सलाहकारों की सेवाएं अक्सर धनाभाव के कारण उपलब्ध नही हो पाती हैं।

1.2 जन निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में एक बड़ी बाधा ऐसी परियोजनाओं का अभाव है जिनके द्वारा निजी क्षेत्र को विश्वास से आमंत्रित किया जा सके। अतः, बेहतर ढंग से जन निजी भागीदारी की ऐसी पाईपलाइन तैयार करने की आवश्यकता है जो व्यवसायिक रूप से सुदृढ़ हो तथा जिसे प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा निजी क्षेत्र को दिया जा सके। अतः, जन निजी भागीदारी परियोजना विकास गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने हेतु "मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष (MPPDF)" नामक योजना को

स्थापित किया जाता है। योजना की प्रति परिशिष्ट ‘1’ (अंग्रेज़ी) तथा परिशिष्ट ‘2’ (हिंदी) में संलग्न है।

1.3 इस योजना का परिचालन वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, संस्थागत वित के निम्न लेखा शीर्षों से किया जाएगा –

- मांग कमांक – 6
- मुख्य शीर्ष – 2052
- उप–मुख्य शीर्ष – 00
- लघु शीर्ष – 091
- राज्य आयोजना सामान्य – 0101
- योजना – 5652
- उद्देश्य शीर्ष – 42
- विस्तृत शीर्ष – 007

1.4 यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

-sd-

(जी0पी0सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ–1/42/04–पी.एम.यू./............... भोपाल, दिनांक सितंबर, 2010

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयेग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल /जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप–महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. समस्त प्रबंध संचालक, म.प्र शासन के सार्वजनिक उपक्रम /मंडल
15. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
16. समस्त आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका म.प्र ।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण ।

-sd-

(नीतेश व्यास)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र शासन वित्त विभाग

परिशिष्ट '1'

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

SCHEME & GUIDELINES

FOR

MADHYA PRADESH PROJECT DEVELOPMENT FUND (MPPDF)

FOR

DEVELOPMENT OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

SEPTEMBER 2010

DIRECTORATE OF INSTITUTIONAL FINANCE,
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
website: www.dif.mp.gov.in

MADHYA PRADESH PROJECT DEVELOPMENT FUND (MPPDF)

SCHEME AND GUIDELINES FOR CREATION OF FUND FOR DEVELOPMENT OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS IN MADHYA PRADESH

1. Background

1.1 The current economic trend in the Country & the State is offering new opportunities that can help the State attain greater heights in economic growth. There are alternative funding sources available to the State in the form of a flourishing private sector eager to pick up commercially viable projects. However, it is essential for the State Government agencies to prepare themselves to reap the benefits of these new opportunities. It has been felt that lack of capacity in the departments to develop economically or commercially viable projects is pulling them back. The departments need to hire experts or consultants who can assist them in project formulation and development; but very often non-availability of resources for such consultancy works becomes an impediment.

1.2 The State Government is committed to not only attracting private capital in creation of infrastructure but also in enhancing the standards of delivery of services through greater efficiency.

1.3 Lack of credible projects on offer to private sector has been identified as one of the major constraint in promoting PPPs. Therefore, a more aggressive approach is needed for preparing a pipeline of credible, bankable projects that can be offered to the private sector through competitive bidding process. To speed up the process, a panel of Transaction Advisors has been short listed by the Government of India, which is adopted by the State Government. The sponsoring authority would be able to select any of the consultants from this panel through a limited financial bid without having to go through the lengthy and more complex technical bid for estimated project cost up to Rs 250 Crores.

1.4 While quality advisory services are fundamental to procuring affordable, value-for-money PPPs, the costs of procuring PPPs, and particularly the costs of Transaction Advisors, are significant. For providing financial support for quality project development activities a scheme titled “Madhya Pradesh Project Development Fund (MPPDF)”, is being set up. The mode of financing the Scheme is through budget support. The assistance from MPPDF would ordinarily be in the form of interest free loan/ advance.

2. Purpose of MPPDF

2.1 MPPDF intends to increase the quality and quantity of projects in the State that can be posed for implementation through PPP.

2.2 The development costs of projects, especially costs of transaction advisors, are significant. Till the time the competent authorities grant approval to such projects, there is no provision for such advisory expenses in the budget of the project Implementing Agency.

2.3 Project Implementing Agency can source funding for the project development expenses through MPPDF. However, for the projects / sectors eligible to seek financial assistance for project development activities under India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) scheme of Government of India, the Project Implementing Agency shall give valid reason for not availing assistance from IIPDF, if financial assistance is sought from MPPDF.

3. Project Implementing Agency (Sponsoring Authority)

3.1 This term refers to administrative Departments of the State Government, Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institutions, Public Sector Undertakings or any other statutory authority, which will be responsible for planning and implementation of the project.

4. Scope of Activities

4.1 The MPPDF funding to the Implementing Agency will generally cover the following expenses:

- Feasibility studies
- Cost of consultants and Transaction Advisors (either from empanelled TAs or through a transparent bidding)
- Environment impact studies
- Financial structuring
- Legal reviews
- Development of project documentation including concession agreement
- Commercial assessment studies (including traffic studies, demand assessment, capacity to pay assessment)
- Grading of projects, etc.

4.2 This funding, however, would not include expenses incurred by the Implementing Agency on its own staff.

5. Funding Mechanism

5.1 MPPDF is envisaged as a scheme being funded through the State budget initially.

5.2 The MPPDF would assist up to 100% of the project development expenses. This assistance would normally be limited to Rs. Twenty Five lakhs. However, in special cases, State Level Empowered Committee (SLEC) may sanction assistance more than this amount. The assistance from MPPDF would ordinarily be in the form of interest-free advance.

5.3 For PPP Projects seeking assistance under IIPDF, the projects can seek co-funding under MPPDF generally up to the extent of 25%, subject to appraisal and decision by the SLEC.

6. MPPDF's Organizational structure

6.1 The MPPDF will be administered by Directorate of Institutional Finance under Finance Department of the State Government.

6.2 Proposals received for assistance would be decided by the State Level Empowered Committee created vide Notification No. 1/42/04-PMU/ 2097 dated 4th September 2010, consisting of the following members -

- Chief Secretary -Chairperson
- Principal Secretary Finance -Member
- Principal Secretary Planning -Member
- Principal Secretary Law -Member
- Additional Chief Secretary/Principal Secretary Of the Sponsoring Authority -Member
- Director Institutional Finance (DIF) - Member Secretary

6.3 The SLEC will:

- Examine the proposals of projects for which development costs have to be funded.
- Set terms and conditions under which the funding will be provided and recovered.
- Set milestones for disbursing and recovering (where appropriate) the funding.

6.4 The Public Private Partnership Cell of The Directorate of Institutional Finance will support the SLEC in examining the applications received for assistance under MPPDF.

6.5 In due course, as the MPPDF matures, a suitable autonomous legal structure could be considered by the Government for the management of MPPDF.

7. Transaction Advisors

7.1 The Project Implementing Agency may appoint Transaction Advisor for the purpose of project development activities as elaborated in 4.1 above.

7.2 Prior approval under this Scheme shall not be a precondition for appointment of Transaction Advisor.

7.3 Project Implementation Agency shall use model documents

7.4 Transaction Advisors may be appointed in any of the following manner:

- Selection from valid panel of Transaction Advisors appointed by Department of Economic Affairs, Government of India (for estimated project cost up to Rs 250 Crore)
- Selection from valid panel of Transaction Advisors as and when appointed by Finance Department, Government of Madhya Pradesh
- Procurement through open tender

8. Disbursements by MPPDF

8.1 Once an application by the Project Implementing Agency has been approved by the SLEC, the Member Secretary of SLEC will provide financial assistance out of the MPPDF.

8.2 In all cases, the decision to fund the project or otherwise will be at the sole discretion of the SLEC and decision of the SLEC will be final.

8.3 Disbursements by the MPPDF will be made in installments based on milestones achieved as specified by SLEC.

8.4 The funding shall be used in a single project approved by the SLEC.

9. Application Format

9.1 To seek project development funding from the MPPDF, the Project Implementing Agency will apply to the PPP Cell in the Directorate of Institutional Finance in the prescribed format at Annexure “A”.

10. Project Types

10.1 Normally, the following projects will be funded under the MPPDF:

- Revenue Generating Commercial projects (Concession/BOOT/BOT or its variants/Lease Contracts)
- Efficiency Enhancement / Cost Savings Projects (Management or Service contracts or Engineering, Performance based O&M contracts)
- Annuity based projects
- Non-revenue generating projects with high economic returns (e.g. Sewerage System)

- Long term management contracts
- Social sector PPP projects
- All other Public Private Partnership (PPP) Projects that do not envisage VGF funding

10.2 The decision of the SLEC about the eligibility of a project to get assistance from MPPDF shall be final.

11. Project Monitoring

11.1 The Project Implementing Agency will be responsible for regular monitoring of the project development and compliance with the milestones as approved by the SLEC.

12. Recovery of Project Development Funding

12.1 Project development funding, ordinarily, will be an interest free financial assistance to meet the project development expenses.

12.2 In case of a PPP project, the development assistance will be recovered from the successful bidder on award of the project. The Project Implementing Agency will make clear provisions for this in the project documentation.

12.3 The Project Implementing Agency will reimburse the development assistance amount to the State Government in appropriate receipt head.

12.4 For PPP Projects, the project development costs shall be recovered from the successful bidder. In case of failure of the bid, the assistance would not be recovered and will be considered a grant to the Implementing Agency. However, the Implementing Agency, if it is not an Administrative Department of the State Government, would be liable to refund the amount of assistance received, if it does not conclude the bidding process or does not contract out the project after having received valid and commercially viable bids.

12.5 A success fee of 10% and 5% of the project development expenses will be charged from Revenue Generating Commercial Projects and efficiency enhancement/ cost saving Projects respectively. No success fee shall be charged from other PPP projects.

13. Risk management

13.1 To fulfill the mandate of the MPPDF, proper selection of projects is the most important risk mitigation measure.

13.2 The primary aim of MPPDF, though, is not recovery of all of the disbursed funds. Instead, it is meant to encourage conception of

projects either in a totally new domain or projects which involve a high level of innovation in the delivery of services.

Annexure – 'A'

MADHYA PRADESH PROJECT DEVELOPMENT FUND (MPPDF)

Application Form for Funding from MPPDF

S. No.	*Particulars*
1.	a. Project Implementing Agency : b. Administrative Department :
2.	Project Name :
3.	Location (District/Town) :
4.	Type : (Revenue Generating/Efficiency enhancement etc.)
5.	Sector :
6.	Whether project has been approved by Competent Authority : (Yes/No)
7.	Is assistance sought from IIPDF? Brief reason for not seeking assistance form IIPDF. If yes, how much?
8.	Need for the Project :
9.	Brief Project Description :
10.	Project Development Duration :
11.	Project Structure or Implementation: BOOT/BOT/Concession/Lease/Management/Service/EPC/ Performance based O&M Contract or otherwise
12.	Project Construction Duration (with milestones)
13.	Expected Outcomes
14.	Project Financial Structure : a. Estimated Project Cost b. Proposed means of financing *Source* *Rs.* Private Sector __________ State Government __________ Implementing Agency __________

	Govt. of India __________ Any Other (Specify) __________ Total __________
15.	Estimated Project Development Expenses *Item* *Rs.* Surveys and Investigations __________ Transaction Advisory Fees __________ Consultancy fees: Technical/Legal/Financial __________ Any other (specify) __________ Total __________
16.	Amount Required for Project Development Rs. __________
17.	Whether Project costs have been included in current plan/budget : (Yes/No)
18.	Is VGF also sought separately?
19.	Monthly Expenses for Project Development *Month* *Estimated Expenses* __________ _______________ __________ _______________ __________ _______________
20.	Plan for recovery of MPPDF assistance a. From successful bidder as success fee b. From project budget c. Other (pl. specify)
	Enclosures : 1. 2. 3. 4.

Signatures and Name of the
Authorized Signatory of the Implementing Agency

Date :

परिशिष्ट **‘2’**

मध्य प्रदेश शासन

जन निजी भागीदारी परियोजनाओं

के विकास हेतु

मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष का सृजन

योजना तथा दिशानिर्देश

सितम्बर 2010

संस्थागत वित्त संचालनालय
वित्त विभाग
मध्य प्रदेश शासन

website: www.dif.mp.gov.in

मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष

प्रदेश में जन निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास हेतु मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष के सृजन की योजना तथा दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 देश तथा प्रदेश में अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति के चलते नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिनके द्वारा राज्य को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने में मदद मिल सकती है। प्रदेश को बढ़ते निजी क्षेत्र के रूप में वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है। तथापि इन नए अवसरों का लाभ उठाने हेतु राज्य शासन की एजेंसियों को स्वयं को तैयार करना होगा। ऐसा महसूस किया गया है कि विभाग आर्थिक तथा व्यवसायिक रूप से लाभप्रद परियोजनाओं को विकसित करने हेतु धनराशि के अभाव में उक्त अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। परियोजनाओं को विकसित करने हेतु विशेषज्ञों तथा सलाहकारों की सेवाएं अक्सर धनाभाव के कारण उपलब्ध नही हो पाती हैं।

1.2 मध्य प्रदेश शासन निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए कटिबद्ध है जिसके द्वारा न केवल अधोसंरचना का निर्माण अपितु बेहतर कार्य-कुशलता के द्वारा बेहतर सेवाएं भी प्रदाय की जा सकें।

1.3 जन निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में एक बड़ी बाधा ऐसी परियोजनाओं का अभाव है जिनके द्वारा निजी क्षेत्र को विश्वास से आमंत्रित किया जा सके। अतः, बेहतर ढंग से जन निजी भागीदारी की ऐसी पाईपलाइन तैयार करने की आवश्यकता है जो व्यवसायिक रूप से सुदृढ़ हो तथा जिसे प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा निजी क्षेत्र को दिया जा सके। इस प्रकिया को गति देने भारत सरकार ने सलाहकारों का एक पैनल तैयार किया है, जिसे प्रदेश शासन ने अंगीकृत किया है। लगभग रु. 250 करोड़ तक लागत की परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी सीमित वित्तीय निविदा के द्वारा इस पैनल में से सलाहकारों का चयन कर सकती है। इस प्रकार उसे तकनीकी निविदा आमंत्रण की लम्बी तथा जटिल प्रकिया से मुक्ति मिल सकती है।

1.4 अच्छी जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु उच्च-स्तरीय सलाहकार सेवा मूल आवश्यकता है, यद्यपि इसमें काफी धन की आवश्यकता होती है। अतः, उच्च-स्तरीय परियोजना विकास गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने हेतु मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष स्थापित किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत बजटीय प्रावधान के द्वारा वित्तपोषण किया जाएगा। मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से सहायता सामान्यतः ब्याज-मुक्त ऋण अथवा अग्रिम के रूप में होगी।

2. उद्देश्य

2.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं की गुणात्मक तथा संख्यात्मक वृद्धि करना है, जिन्हें जन निजी भागीदारी द्वारा क्रियान्वित किया जा सके।

2.2 परियोजना विकास का व्यय, विशेषकर सलाहकार सेवा का व्यय, काफी अधिक होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने तक क्रियान्वयन एजेंसी के बजट में सलाहकार पर व्यय की राशि का प्रावधान नहीं होता है।

2.3 परियोजना विकास के व्यय हेतु परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से वित्तपोषण प्राप्त कर सकती है। यद्यपि जिन क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं को भारत सरकार की आइ. आइ. पी. डी. एफ. योजना की पात्रता है परन्तु परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी उससे सहायता ना लेते हुए मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से सहायता चाहती है, तो उसे इसका उचित कारण बताना होगा।

3. परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी

3.1 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग, नगरीय स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा कोई भी विधिक संस्था आएगी, जो परियोजना के नियोजन तथा उसे क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगी।

4. कार्य–क्षेत्र

4.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को वित्तपोषण सामान्यतः निम्नांकित मदों हेतु उपलब्ध कराया जायेगा –

- लाभप्रदता अध्ययन
- परामर्शदाताओं/सलाहकारों से संबंधित लागत (सलाहकारों के पैनल से अथवा पारदर्शी निविदा से।)
- पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन
- वित्तीय संरचना
- विधिक पहलुओं की समीक्षा
- परियोजना हेतु दस्तावेज़ तैयार करना
- वाणिज्यिक अध्ययन
- परियोजनाओं की grading

4.2 इस व्यय में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों पर किये गये व्यय को शामिल नहीं किया जायेगा।

5. वित्तपोषण की प्रक्रिया

5.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष की परिकल्पना शुरुआती तौर पर बजट के द्वारा पोषित योजना के रूप में की गई है।

5.2 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष परियोजनाओं के विकास–कार्यों के व्यय पर 100 प्रतिशत तक सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता सामान्यतः पच्चीस लाख रुपये तक सीमित होगी। यद्यपि जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु गठित राज्य–स्तरीय सशक्त समिति विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक सहायता भी स्वीकृत कर सकेगी। यह सहायता सामान्यतः ब्याज–मुक्त अग्रिम के रूप में होगी।

5.3 जिन परियोजनाओं में आइ. आइ. पी. डी. एफ. की सहायता चाही गई है, उनमें राज्य–स्तरीय सशक्त समिति के विश्लेषण तथा निर्णय उपरान्त मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से सामान्यतः 25 प्रतिशत तक सह–पोषण मांगा जा सकेगा।

6. संगठनात्मक ढांचा

6.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष का संचालन राज्य शासन के वित्त विभाग के अधीन संचालक संस्थागत वित्त द्वारा किया जायेगा।

6.2 कोष से सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य–स्तरीय सशक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसे 4 सितंबर 2010 की अधिसूचना क्रमांक 1/42/04–PMU/2097 के तहत गठित किया गया है तथा जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं –

- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, वित्त – सदस्य
- प्रमुख सचिव, योजना – सदस्य
- प्रमुख सचिव, विधि – सदस्य
- संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव – सदस्य
- संचालक, संस्थागत वित्त – सदस्य सचिव

6.3 राज्य–स्तरीय सशक्त समिति के दायित्व –

- उन परियोजनाओं के प्रस्ताव का परीक्षण, जिनकी विकास लागत का वित्तपोषण किया जाना है।
- वित्तपोषण तथा उसकी वसूली की शर्तों का निर्धारण।
- वित्तपोषण के संवितरण तथा उसकी वसूली (यथा–योग्य) के लिये milestones निर्धारित करना।

6.4 संचालनालय संस्थागत वित्त के अधीन जन निजी भागीदारी प्रकोष्ठ (PPP Cell) मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष के अंतर्गत सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में राज्य–स्तरीय सशक्त समिति की सहायता करेगा।

6.5 समय के साथ राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष के प्रबंधन हेतु उचित स्वशासी विधिक स्वरूप पर विचार किया जाएगा।

7. पी. पी. पी. सलाहकार

7.1 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी उपर 4.1 में दर्शाए गए परियोजना विकास कार्यो हेतु पी. पी. पी. सलाहकार की नियुक्ति कर सकती है।

7.2 सलाहकार की नियुक्ति हेतु इस योजना के अंतर्गत पूर्वानुमति लेना आवश्यक नही होगा।

7.3 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी प्रादर्श दस्तावेजों का ही प्रयोग करेगी।

7.4 पी. पी. पी. सलाहकार की नियुक्ति निम्नांकित में से किसी भी विधि से की जा सकती है –

- भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा सलाहकारों के तय पैनल में से (रु 250 करोड़ तक की लागत की परियोजनाओं हेतु)
- मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सलाहकारों के तय पैनल में से, जब भी ऐसा पैनल तैयार किया जाएगा।
- खुली निविदा के द्वारा

8. संवितरण

8.1 राज्य–स्तरीय सशक्त समिति द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के आवेदन की स्वीकृति उपरान्त मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष के सदस्य सचिव द्वारा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8.2 समस्त प्रकरणों में परियोजना का वित्तपोषण करने अथवा ना करने का निर्णय पूर्ण रूप से राज्य–स्तरीय सशक्त समिति के विवेकानुसार तथा अंतिम होगा।

8.3 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से संवितरण राज्य–स्तरीय सशक्त समिति के नियत milestones के अनुसार विकास की प्रगति के आधार पर किश्तों में किया जायेगा।

8.4 वित्तपोषण का उपयोग राज्य–स्तरीय सशक्त समिति द्वारा स्वीकृत एक ही परियोजना हेतु किया जाएगा।

9. आवेदन का प्रारूप

9.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से परियोजना विकास के वित्तपोषण हेतु परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी संचालनालय संस्थागत वित्त के अधीन जन निजी

भागीदारी प्रकोष्ठ (PPP Cell) को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट 'अ') में आवेदन करेगी।

10. परियोजना के प्रकार

10.1 सामान्यतः, निम्न प्रकार की परियोजनाओं को मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से वित्तपोषित किया जायेगा –

- राजस्व अर्जित करने वाली वाणिज्यिक परियोजनायें (Concession/BOOT/ BOT or its variants/Lease Contracts)
- कार्यकुशलता में वृद्धि/लागत में बचत करने वाली परियोजनायें (Management or Service Contracts or Engineering, Performance based O & M Contracts)
- वार्षिकी (Annuity) आधारित परियोजनायें
- राजस्व अर्जित नहीं करने वाली परंतु उच्च आर्थिक लाभ वाली परियोजनायें (e.g. Sewerage System)
- दीर्घ अवधि के प्रबंधन अनुबंध
- सामाजिक क्षेत्र की परियोजनायें
- अन्य सभी जन निजी भागीदारी परियोजनायें जिनमें वी. जी. एफ. से वित्तपोषण की योजना नहीं हो।

10.2 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष से सहायता हेतु परियोजना की योग्यता का अंतिम निर्णय राज्य-स्तरीय सशक्त समिति का होगा।

11. परियोजना का अनुश्रवण

11.1 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को परियोजना की सतत् निगरानी तथा राज्य-स्तरीय सशक्त समिति द्वारा स्वीकृत milestones के पालन को सुनिश्चित कराना होगा।

12. परियोजना विकास की राशि की वसूली

12.1 सामान्यतः, परियोजना के विकास के लिये दी जाने वाली राशि बिना ब्याज की वित्तीय सहायता होगी, जिससे परियोजना विकास के व्यय की पूर्ति की जा सके।

12.2 सहायता राशि की वसूली सफल निविदाकर्ता से की जायेगी। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले दस्तावेज़ों में इस आशय हेतु स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा।

12.3 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के उपर्युक्त प्राप्ति (आवक) मद में की जाएगी।

12.4 जन निजी भागीदारी परियोजनाओं में परियोजना विकास-कार्यों के व्यय सफल निविदाकर्ता से वसूले जायेंगे। यद्यपि निविदा असफल होने की स्थिति में सहायता वसूली नहीं जायेगी तथा उसे क्रियान्वयन एजेंसी को अनुदान के रूप में मान

लिया जायेगा। यदि निविदा प्रक्रिया का उचित निपटारा नही किया जाता है अथवा वैध तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निविदाएं प्राप्त होने के बावजूद क्रियान्वयन एजेंसी निजी निवेशक का चुनाव नही करती है तो ऐसी स्थिति में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, यदि वह राज्य शासन का प्रशासकीय विभाग नहीं है, को प्रदाय की गई सहायता की प्रतिपूर्ति उसे स्वयं ही करनी होगी।

12.5 राजस्व अर्जित करने वाली वाणिज्यिक परियोजनाओं अथवा कार्यकुशलता में वृद्धि/लागत में बचत करने वाली परियोजनाओं हेतु परियोजना विकास व्यय का क्रमशः 10 तथा 5 प्रतिशत शुल्क (Success Fee) वसूला जाएगा। अन्य प्रकार की जन निजी भागीदारी परियोजनाओं में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

13. जोखिम प्रबंधन

13.1 मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष का उद्देश्य पूर्ण करने के लिये परियोजनाओं का उचित चुनाव जोखिम कम करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा।

13.2 तथापि मध्य प्रदेश परियोजना विकास कोष की मंशा संपूर्ण आवंटित राशि की वसूली नहीं है। इसका आशय है कि पूर्णतः नये क्षेत्रों में परियोजनाओं की परिकल्पना अथवा सेवायें प्रदान करने में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।

परिशिष्ट 'अ'

MADHYA PRADESH PROJECT DEVELOPMENT FUND (MPPDF)

Application Form for Funding from MPPDF

S. No.	*Particulars*
21.	c. Project Implementing Agency : d. Administrative Department :
22.	Project Name :
23.	Location (District/Town) :
24.	Type : (Revenue Generating/Efficiency enhancement etc.)
25.	Sector :
26.	Whether project has been approved by Competent Authority : (Yes/No)
27.	Is assistance sought from IIPDF? Brief reason for not seeking assistance form IIPDF. If yes, how much?
28.	Need for the Project :
29.	Brief Project Description :
30.	Project Development Duration :
31.	Project Structure or Implementation: BOOT/BOT/Concession/Lease/Management/Service/EPC/ Performance based O&M Contract or otherwise
32.	Project Construction Duration (with milestones)
33.	Expected Outcomes
34.	Project Financial Structure : c. Estimated Project Cost d. Proposed means of financing *Source* *Rs.* Private Sector ___________ State Government ___________ Implementing Agency ___________

	Govt. of India ___________ Any Other (Specify) ___________ Total ___________
35.	Estimated Project Development Expenses *Item* *Rs.* Surveys and Investigations ___________ Transaction Advisory Fees ___________ Consultancy fees: Technical/Legal/Financial ___________ Any other (specify) ___________ Total ___________
36.	Amount Required for Project Development Rs. ___________
37.	Whether Project costs have been included in current plan/budget : (Yes/No)
38.	Is VGF also sought separately?
39.	Monthly Expenses for Project Development *Month* *Estimated Expenses* ___________ ___________________ ___________ ___________________ ___________ ___________________
40.	Plan for recovery of MPPDF assistance d. From successful bidder as success fee e. From project budget f. Other (pl. specify)
	Enclosures : 1. 2. 3. 4.

Signatures and Name of the
Authorized Signatory of the Implementing Agency

Date :